



## कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)

::-विविध-आदेश:-

क्रमांक:- 40/दो-22-2/99

खंडवा, दिनांक 16.05.2025

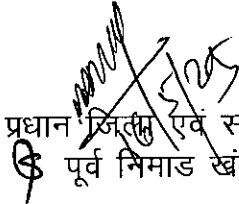
रजिस्ट्री जबलपुर से प्राप्त अवकाश अधिसूचना क्रमांक-सी/2528/एक-7-3/2024 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 24.03.2025 अनुसार दिनांक 19.05.2025 से 13.06.2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किये जाने के फलस्वरूप सिविल न्यायालय अधिनियम की धारा 21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में यदि संबंधित सिविल न्यायालय, सिविल वाद के प्रस्तुतिकरण एवं सुनवाई को तात्कालिक एवं अत्यावश्यक प्रकृति का होना पाते हैं, तो ऐसे वादों की प्रस्तुतिकरण, सुनवाई के लिये उन्हें अधिकृत किया जाता है, साथ ही इस स्थापना के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के सामने दर्शायी गई, अवधि के लिये इस वर्ष 2025 में ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम                                                         | अवकाश दिनांक                                                    | अवधि        | मुख्यालय अनुमति                                                                                                                                                                          | अनुपस्थिति में प्रभार                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                              | 3                                                               | 4           | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                           |
| 01   | श्री मनोज कुमार मंडलोई, विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्या. निवारण अधिनियम, खंडवा | दिनांक 19.05.2025 से 24.05.2025 तक एवं 09.06.2025 से 13.06.2025 | कुल 11 दिन  | दिनांक 17.05.2025 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 25.05.2025 एवं दिनांक 06.06.2025 के न्यायालयीन समय पश्चात से 14.06.25 न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। | 1. श्री अनिल चौधरी, द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश खंडवा<br>2. श्री अरविंद सिंह टेकाम, प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, खंडवा<br>3. श्री विरेन्द्र जोशी, चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश खंडवा |
| 02   | श्री अरविंद सिंह टेकाम, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खंडवा।          | दिनांक 19.05.2025 से 31.05.2025 तक                              | कुल 13 दिवस | दिनांक 17.05.2025 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 02.06.2025 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।                                                         | 1. श्री विरेन्द्र जोशी, चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश खंडवा<br>2. श्री मनोज मंडलोई, विशेष न्यायाधीश, खंडवा                                                                                            |
| 03   | श्री अनिल चौधरी द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खंडवा।                | दिनांक 26.05.2025 से 06.06.2025 तक                              | कुल 12 दिवस | दिनांक 25.05.2025 एवं 07 एवं 08.06.2025 के सार्वजनिक अवकाश सहित दिनांक 25.05.2025 से दिनांक 08.06.2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति।                                               | 1. श्री विरेन्द्र जोशी, चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश खंडवा<br>2. श्री अरविंद सिंह टेकाम, प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, खंडवा<br>3. श्री मनोज मंडलोई, विशेष न्यायाधीश, खंडवा                    |

| 1  | 2                                                                              | 3                                                                              | 4                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | श्री आशीष प्रताप सिंह,<br>चतुर्थ जिला एवं<br>अतिरिक्त सत्र<br>न्यायाधीश खंडवा। | दिनांक<br>19.05.2025 से<br>24.05.2024 तक<br>एवं<br>02.06.2025 से<br>06.06.2025 | <u>कुल</u><br><u>11</u><br><u>दिवस</u> | दिनांक 18, 25.5.2025 के<br>सार्वजनिक अवकाश सहित<br>दिनांक 17.05.2025 के<br>कार्यालय समय पूर्व से<br>दिनांक 24.05.2025 तक<br>एवं 01.06.2025 से<br>सार्वजनिक अवकाश सहित<br>दिनांक 31.05.2025 के<br>न्यायालयीन समय पश्चात<br>से दिनांक 08.06.2025<br>तक मुख्यालय से बाहर<br>रहने की अनुमति। | 1. श्री विरेन्द्र जोशी,<br>चतुर्थ जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश खंडवा<br>2. श्री अरविंद सिंह टेकाम,<br>प्रथम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, खंडवा<br>3. श्री मनोज मंडलोई,<br>विशेष न्यायाधीश,<br>खंडवा |
| 05 | श्री विरेन्द्र जोशी,<br>चतुर्थ जिला एवं<br>अतिरिक्त सत्र<br>न्यायाधीश खंडवा।   | दिनांक<br>26.05.2025 से<br>06.06.2025 तक                                       | <u>कुल</u><br><u>12</u><br><u>दिवस</u> | दिनांक 26.05.2025 से<br>08.06.2025 तक मुख्यालय<br>से बाहर रहने की<br>अनुमति।                                                                                                                                                                                                             | 1. श्री मनोज मंडलोई,<br>विशेष न्यायाधीश,<br>खंडवा<br>2. श्री अरविंद सिंह टेकाम,<br>प्रथम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, खंडवा                                                                            |
| 06 | श्री पुष्पक पाठक,<br>जिला एवं अतिरिक्त<br>सत्र न्यायाधीश हरसूद                 | दिनांक<br>19.05.2025 से<br>31.05.2025 तक                                       | <u>कुल</u><br><u>13</u><br><u>दिवस</u> | दिनांक 17.05.2025 के<br>कार्यालय समय पश्चात से<br>02.06.2025 कार्यालय<br>समय पूर्व तक मुख्यालय<br>से बाहर रहने की<br>अनुमति।                                                                                                                                                             | 1. श्री अनिल चौधरी,<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश खंडवा<br>2. श्री मनोज मंडलोई,<br>विशेष न्यायाधीश,<br>खंडवा<br>3. श्री विरेन्द्र जोशी,<br>चतुर्थ जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश खंडवा       |

1. किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त अनुसार प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में तत्समय उपस्थित वरिष्ठतम पीठासीन अधिकारी उनका प्रभार देखेंगे। आकस्मिकता की स्थिति में अथवा अन्य कोई अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश निरस्त किया जा सकेगा।

2. ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में कार्यालय द्वारा कोई निर्देश-पत्र जारी किये जाते हैं तो वह लागू होंगे।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
पूर्व निमाड खंडवा म.प्र.



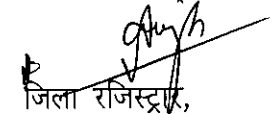
## कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक- 1069 / दो-22-2/1999  
प्रतिलिपि आदेशानुसार :-

खंडवा, दिनांक 17.05.2025

1. श्री मनोज कुमार मंडलोई, विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा, खंडवा
2. श्री अरविंद सिंह टेकाम, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
3. श्री अनिल चौधरी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
4. श्री आशीष प्रताप सिंह, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
5. श्री विरेन्द्र जोशी, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा
6. श्री पुष्पक पाठक, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरसूद
7. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खण्डवा/हरसूद
8. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा
9. लेखापाल, जिला न्यायालय, खण्डवा।

की ओर ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश की प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
जिला रजिस्ट्रार,  
जिला न्यायालय, खंडवा म.प्र.